राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

rajssaquality@gmail.com Ph-2701596

क्रमांक : राप्राशिप / गुणवत्ता / शाला–सिद्धि / 2016–17 14078 दिनांक : 26/2/18

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा. शि., एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषयः–शाला–सिद्धि वेब पोर्टल 100 से कम नामांकन वाले यूपीएस एवं 60 से कम नामांकन वाले पीएस विद्यालयों की फीडिंग के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा), नई दिल्ली के द्वारा सत्र 2016–17 से सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम शाला–सिद्धि प्रारम्भ किया गया है। इस क्रम में **सत्र 2017–18 में 60 से कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय एवं 100 से कम नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों द्वारा विद्यालय विकास योजना बनाकर ऑनलाइन डैश बोर्ड प्रविष्टि की जानी है।** सत्र 2017–18 में चयनित संस्था प्रधानों का ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है। **अतः आपको आदेशित किया जाता हैं कि संलग्न सूची अनुसार शाला–सिद्धि कार्यक्रम के संस्थाप्रधानों के द्वारा साक्ष्यानुरूप विद्यालय से सम्बन्धित सूचनाएं ऑनलाइन शाला–सिद्धि वेब पोर्टल पर अपलोड कराई जावे। इस हेतु शाला सिद्धि वैब पोर्टल, पंजीकरण एवं ऑनलाइन प्रविष्टि के कार्य के लिए प्रारम्भ हो चुका है।** इस कार्य से सम्बन्धित सामान्य दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैं –

- सभी विद्यालयों द्वारा उक्त कार्य को सम्पादित करने की **अन्तिम तिथि दिनांक 18.03.2018 है।**
- शाला सिद्धि पोर्टल हेतु SIQE अधिगम **क्षेत्र (Learning Area) में प्राप्त ग्रेड के आधार पर अंको का रूपान्तरण सम्बन्धित दिशा–निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे है।** समस्त संस्था प्रधान संलग्न दिशा–निर्देशानुसार ग्रेडों को अंको में रूपान्तरण करके ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित करें।
- **यह सुनिश्चित किया जाये कि संस्था प्रधानों द्वारा इन्द्राज की गई विद्यालय विकास सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ शिक्षकों, समुदाय एवं अभिभावकों से चर्चा उपरान्त यूजर्स मैन्युअल के दिशा–निर्देश अनुसार फीडिंग की जानी है जोकि साक्ष्यानुरूप / वास्तविक हो।**
- फीडिंग कार्य संस्था प्रधान द्वारा करवाया जाना है। फीडिंग पश्चात समस्त प्रपत्रों की एक हार्ड प्रति विद्यालय की फाइल में संधारित करनी होगी जिसके आधार पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा अवलोकन कार्य एवं बाह्य मूल्यांकन कार्य किया जाना है। साक्ष्यों का मिलान विद्यालय स्तर पर किया जावे।
- इस सम्बन्ध में समस्त जिला परियोजना समन्वयक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एसएसए / आरएमएसए, समस्त बीईईओ एवं पीईईओ अपने स्तर से प्रभावी मॉनिटरिंग कर नियत समय में कार्य को सम्पादित करावें।

www.rajteachers.com

- ऑन–लाइन फीडिंग में आने वाली किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या हेतु ब्लॉक ऑपरेटर/आरपी शाला–सिद्धि एवं एसएसए जिला एम.आई.एस. को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु पाबन्द करें।
- जिला स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होने पर राज्य स्तर से दूरभाष नम्बर– 0141–2701596 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
- निर्धारित समय में ब्लॉक एवं पंचायत में चयनित समस्त विद्यालयों का फीडिंग कार्य–पूर्ण करवाने की पूर्ण जिम्मेदारी ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की होगी। शाला सिद्धि वैबपोर्टल 2017–18 प्रविष्टि यूजर्स मैन्युअल अनुसार हो एवं प्रविष्टि में त्रुटिया नहीं रहे। यह सुनिश्चित किया जाये।
- प्रत्येक ब्लॉक को चार भागों में विभाजित कर एक–2 भाग को फीड करवाने का उत्तरदायित्व संदर्भ व्यक्ति (R.P.) को BEEO द्वारा दिया जावे एवं विद्यालयों द्वारा स्वंमूल्याकन करते वक्त डैशबोर्ड पर सही सूचनायें अंकित करवाते हुए उसकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जावे।
- बीईईओ एवं पीईईओ द्वारा प्रभावी मॉनीटरिंग कर निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करवाया जावे।

संलग्न –

1. सत्र 2017–18 हेतु चयनित विद्यालयों की जिलेवार सूची।
2. ग्रेड के आधार पर अंको का रूपान्तरण सम्बन्धित दिशा–निर्देश

(जोगा राम)
आयुक्त

क्रमांक : राप्राशिप/गुणवत्ता/शाला–सिद्धि//2016–17 14073 दिनांक : 26/2/18
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, रा.प्रा.शि.प., जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रमसा, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
5. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप,जयपुर।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, रमसा, जयपुर।
8. निजी सचिव, एसआईईआरटी, उदयपुर।
9. उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त सम्भाग।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए/रा.मा.शि.अ, समस्त जिले।
11. बीईईओ, समस्त ब्लॉक।
12. पीईईओ समस्त।
13. रक्षित पत्रावली।

(ममता यादव)
उपायुक्त (गुणवत्ता)

www.rajteachers.com

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर
शिक्षाक्रम एवं मूल्यांकन विभाग

क्रमांक : राराशैअप्रसं.–उदय / वि–9 / प्रकोष्ठ–2 / फा.–8175 / 2018 दिनांक 26.02.2018

श्रीमान आयुक्त महोदय,

रा0प्रा0शि0, जयपुर।

विषयः–शालासिद्धि पोर्टल हेतु SIQE अधिगम क्षेत्र में प्राप्त ग्रेड के आधार पर अंको में रूपांतरण –

महोदय,

उपर्युक्त विषय में निवेदन हैं कि दूरभाष पर प्राप्त संदेशानुसार आप द्वारा चाही गई सूचना तैयार कर आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

शालासिद्धि पोर्टल हेतु SIQE अधिगम क्षेत्र में प्राप्त ग्रेड के आधार पर अंको में रूपांतरण –

अधिगम क्षेत्र (Learning Area) में ग्रेड निर्धारण –

- ग्रेडA यदि विद्यार्थी स्वयं करने में सक्षम है।
- ग्रेड B यदि विद्यार्थी शिक्षक की सहायता से करने में सक्षम है।
- ग्रेडC यदि विद्यार्थी नही स्वयं करने में और नही शिक्षक की सहायता से करने में सक्षम है।

नामांकित कक्षा 1 हेतु रूपांतरण

- कुल संभवित ग्रेड 3 (A,B व C)
- आधार स्कोर = 30

ग्रेड के अनुसार स्कोर -

ग्रेड	स्कोर
1A	30
1B	20
1C	10

(नोट : यहाँ ग्रेड के पूर्व लिखा अंक विद्यार्थी के कक्षास्तर को दर्शाता है ।)

- प्राप्तांक = (स्कोर / आधार स्कोर) * 100
- 1A हेतु प्राप्तांक (30/30) * 100 = 100
- 1Bहेतु प्राप्तांक = (20/30) * 100 = 67
- 1Cहेतु प्राप्तांक = (10/30) * 100 = 33

3)

www.rajteachers.com

नामांकित कक्षा 2 हेतु रूपांतरण

- कुल संभवित ग्रेड = 6 (2A,2B, 2C, 1A,1B व 1C)
- आधार स्कोर = 60

ग्रेड के अनुसार स्कोर -

ग्रेड	स्कोर	ग्रेड	स्कोर
1A	30	2A	60
1B	20	2B	50
1C	10	2C	40

(नोट : यहाँ ग्रेड के पूर्व लिखा अंक विद्यार्थी के कक्षास्तर को दर्शाता है ।)

- प्राप्तांक = (स्कोर / आधार स्कोर) * 100
- 2Aहेतु प्राप्तांक = (60/60) * 100 = 100
- 2Bहेतु प्राप्तांक = (50/60) * 100 = 83
- 2Cहेतु प्राप्तांक = (40/60) * 100 = 67
- 1A हेतु प्राप्तांक = (30/60) * 100 = 50
- 1Bहेतु प्राप्तांक = (20/60) * 100 = 33
- 1Cहेतु प्राप्तांक = (10/60) * 100 = 17

नामांकित कक्षा 3 हेतु रूपांतरण -

- कुल संभवित ग्रेड = 9(3A,3B , 3C 2A,2B, 2C, 1A,1B व 1C)
- आधार स्कोर = 90

ग्रेड के अनुसार स्कोर–

ग्रेड	स्कोर	ग्रेड	स्कोर	ग्रेड	स्कोर
1A	30	2A	60	3A	90
1B	20	2B	50	3B	80
1C	10	2C	40	3C	70

(नोट : यहाँ ग्रेड के पूर्व लिखा अंक विद्यार्थी के कक्षास्तर को दर्शाता है ।)

नामांकित कक्षा 4 हेतु रूपांतरण -

- कुल संभवित ग्रेड = 12(A,4B ,4C ,3A,3B , 3C 2A,2B, 2C, 1A,1B व 1C)
- आधार स्कोर = 120

ग्रेड के अनुसार स्कोर –

www.rajteachers.com

ग्रेड	स्कोर	ग्रेड	स्कोर	ग्रेड	स्कोर	ग्रेड	स्कोर
1A	30	2A	60	3A	90	4A	120
1B	20	2B	50	3B	80	4B	110
1C	10	2C	40	3C	70	4C	100

(नोट : यहाँ ग्रेड के पूर्व लिखा अंक विद्यार्थी के कक्षास्तर को दर्शाता है ।)

अधिगम

नामांकित कक्षा 5 हेतु रूपांतरण -

- कुल संभवित ग्रेड = 15 (5A,5B, 5C,4A,4B ,4C ,3A,3B , 3C 2A,2B, 2C, 1A,1B व 1C)
- आधार स्कोर = 150

ग्रेड के अनुसार स्कोर –

ग्रेड	स्कोर	ग्रेड	स्कोर	ग्रेड	स्कोर	ग्रेड	स्कोर	ग्रेड	स्कोर
1A	30	2A	60	3A	90	4A	120	5A	150
1B	20	2B	50	3B	80	4B	110	5B	140
1C	10	2C	40	3C	70	4C	100	5C	130

(नोट : यहाँ ग्रेड के पूर्व लिखा अंक विद्यार्थी के कक्षास्तर को दर्शाता है ।)

निदेशक,
एसआईईआरटी, उदयपुर

क्रमांक : राराशैअप्रसं.–उदय / वि -9 / प्रकोष्ठ–2 / फा.–8175 / 2018 दिनांक 26.02.2018

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, रा.प्रा.शि.प., जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रमसा, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
5. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप,जयपुर।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, रमसा, जयपुर।
8. निजी सचिव, एसआईईआरटी, उदयपुर।
9. उपनिदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, समस्त सम्भाग।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक,
एसआईईआरटी, उदयपुर

www.rajteachers.com